आवेदन आमंत्रित 15 जनवरी, 2016 से

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

आवेदन की अन्तिम तिथि 08 फरवरी, 2016

''पन्नाधाय आवासीय योजना'' (बेगस)
का शुभारम्भ एवं 11 अन्य योजनाओं

रघुनाथ विहार, यश विहार, रामचन्द्र विहार, उदय विहार, देव विहार, रोहिणी एन्क्लेव, सूर्य नगर ब्लॉक–ए, आदित्य विहार, हरि एन्क्लेव, आश्रय विहार, अभिनव विहार विस्तार

के

45 व.मी. से 252 व.मी. तक के कुल 2669 भूखण्डों हेतु 15 जनवरी 2016 से 08 फरवरी, 2016 तक आवेदन www.jaipurjda.org अथवा ई–मित्र कियोस्क केन्द्रो के माध्यम से

- आवेदक एक ही आवेदन पत्र के माध्यम से एक से अधिक योजनाओं के भूखण्डों के लिए परिवार की सकल मासिक आय (स्वयं व पति/पत्नी एवं आश्रितों की आय को सम्मिलित करते हुये) वित्तीय वर्ष 2014–15(1 अप्रेल, 2014 से 31 मार्च, 2015 तक) एवं आरक्षित श्रेणी में वरीयता के अनुसार आवेदन किया जा सकेगा। **आवेदक द्वारा एक ही नाम से अलग–अलग एक से अधिक आवेदन पत्र पर आवेदन करने पर सभी आवेदन निरस्त कर दिये जावेंगे।**
- सभी योजनाओं में एक या एक से अधिक भूखण्ड के लिये आवेदन करने पर **आवेदन शुल्क रू. 200/–** एवं निर्धारित पंजीकरण राशि के साथ ऑनलाईन आवेदन करना होगा।
- कुल पंजीयन राशि प्रत्येक विकल्प के अनुसार एक मुश्त जमा कराना होगा।
- पंजीकरण राशि एवं आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाईन जैसे **डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग** के माध्यम से या ई–मित्र कियोस्क पर जमा कराकर किया जा सकता है।
- ई–मित्र कियोस्क के माध्यम से आवेदन करने पर ई–मित्र **कियास्क को पंजीकरण राशि रू. 30,000/– (प्रक्रिया शुल्क रू. 200 के अतिरिक्त) तक 80/– एवं 30,001/– (प्रक्रिया शुल्क रू. 200 के अतिरिक्त) से अधिक पंजीकरण राशि जमा कराने पर ई–मित्र कियास्क को 125/– अतिरिक्त** देय होंगे।
- आवेदक को समान आरक्षित श्रेणी व आय वर्ग में एक से अधिक भूखण्डों में योजनावार एवं साईज के आधार पर विकल्प चयन करने होगें।
- लॉटरी में एक से अधिक भूखण्डों के लिए सफल होने पर उच्चत्तम वरीयता वाले भूखण्ड का आवंटन किया जावेगा।
- एक ही आवेदन के माध्यम से एक या एक अधिक योजनाओं में आवेदक सकल मासिक आय वर्ग में समान आय वर्ग के विभिन्न साईज (क्षेत्रफल) के भूखण्डों में वरीयता के आधार पर आवेदन कर सकेगें। लॉटरी में वरीयता के आधार पर भूखण्ड आवंटित होने के उपरान्त शेष वरीयताएँ स्वतः ही समाप्त हो जावेगीं एवं शेष वरीयताओं की जमा पंजीकरण राशि आवेदक के लौटाई जावेगी।
- योजनाओं में उपलब्ध भूखण्डों की संख्या में लॉटरी से पूर्व कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है। कॉर्नर भूखण्ड लॉटरी में सम्मिलित नहीं किये जावेंगे।
- आवेदन के दौरान आवेदनकर्ता यह सुनिश्चित करें आवेदनकर्ता का नाम, बैंक खाता संख्या एवं आई.एफ.एस.सी. कोड सही हो तथा चालू स्थिति में हो जिससे असफल आवेदको को ऑनलाईन पंजीकरण राशि सही खाते में जमा हो सकें। गलत/अमान्य होने की स्थिति में पंजीकरण राशि के गलत खाते में हस्तान्तरित होने पर जविप्रा की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- उक्त भूखण्डों की संख्या में नियमानुसार राज्य सरकार के विभागों एवं **राजकीय उपक्रमों के कर्मचारी 18%, अनु. जनजाति 6%, अनु. जाति 9%, विकलांग 2%, अधिस्वकृत पत्रकार 2%, तथा सैनिक (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल है) 10%, भूखण्ड आरक्षित है।**
- आवेदक अपना स्वयं का मोबाईल नम्बर या पति/पत्नी या आश्रित बच्चों के मोबाइल नम्बर ही अंकित करें, अन्य का इन्द्राज नहीं करें।
- **लॉटरी से पूर्व आवेदन पत्रों में किसी भी प्रकार का शुद्धीकरण/संशोधन नहीं किया जावेगा।**
- **योजनाओं से सम्बन्धित आवेदन एवं आवेदन प्रक्रिया व नियम तथा शर्तो की विस्तृत जानकारी के लिए जविप्रा की वेबसाइट www.jaipurjda.org पर उपलब्ध है।**

सचिव

राज.संवाद/सी/15/

Size : 16Hx20W